



सत्यमेव जयते

(☎ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/6/2015/औ.सं एवं क./IR&W/390

दिसंबर/December 9, 2015

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : मुख्य लाभार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के संबंध में।

Sub : Inclusion of additional family members after the retirement of the prime beneficiary

विभाग में मुख्य लाभार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने का अनुरोध करते हुए इकाइयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए।

Department received proposals from Units seeking inclusion of additional family members after the retirement of the prime beneficiary.


2. विभाग में इस मामले की जाँच की गई और सीएचएसएस नियमों के अधीन अन्य शर्तों को पूरा करने की शर्त पर केवल निम्नलिखित मामलों में सीएचएसएस नियमों में छूट देते हुए मुख्य लाभार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है :

The issue has been examined in the Department and decided to allow addition of family members **after the retirement** of the prime beneficiary in relaxation of CHSS Rules, only in the following cases, subject to the fulfillment of other conditions under CHSS Rules :

- i) सेवानिवृत्त कर्मचारी का विवाह (पति/पत्नी के नाम को शामिल करना)
Marriage of the retired employee (requiring inclusion of spouse's name)
- ii) सेवानिवृत्ति के बाद शिशु का जन्म/गोद लेना
Birth/adoption of a child after retirement
- iii) माता-पिता का आश्रित बन जाना
Parents becoming dependents

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.


(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)
निदेशक (औ.सं.एवं क.) Director (IR&W)

सीएचएसएस का प्रबंधन करने वाले सभी प्राधिकारी / All CHSS Administering Authorities :

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT, Indore
- (7) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (10) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital, Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC&Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) उप महाप्रबंधक (एचआरपी एवं ईआर), एनपीसीआईएल, मुंबई
DGM(HRP&ER), NPCIL, Mumbai
दिनांक 01/09/2015 के टिप्पणी सं. एनपीसीआईएल/एचक्यू/एचआरपी/4(1)/2015/249
के संदर्भ में। w.r. to Note no. NPCIL/HQ/HRP/4(1)/2015/249 dated 1/9/2015
- (8) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (9) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (10) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE